



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1563]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2016/आषाढ़ 1, 1938

No. 1563]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2016/ASADHA 1, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2016

**का.आ. 2180(अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 एवं 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का.आ. 2070 (अ), तारीख 07.08.2009 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के 12.600 कि.मी. से 84.700 कि.मी. (इंदौर-खलघाट सेक्शन) तक विद्यमान दो लेन की सड़क का चार लेन में विकास करने, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु शुल्क संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए मैसर्स ओरिएन्टल पाथवेज् (इंदौर) प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत किया था;

अब, केन्द्रीय सरकार, (राष्ट्रीय राजमार्गों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल) नियम, 1997 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 एवं 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 2070 (अ), तारीख 07.08.2009 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

टिप्पणियों के पैरा 2 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए:

“2. शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	सेक्शन का डिजाइन चैनेज*
इंदौर जिले गांव सोनवाय के पास 4.000 कि.मी. (विद्यमान 16.600 कि.मी. ) पर	29.300	0.000 कि.मी. से 29.300 कि.मी. तक
धार जिले में गांव खलघाट के पास 75.700 कि.मी. (विद्यमान 32.800 कि.मी.) पर	48.020	29.300 कि.मी. से 77.320 कि.मी. तक
योग	77.320	

\*विद्यमान चैनेज के अनुसार, परियोजना का खण्ड 12.600 कि.मी. से 84.700 कि.मी. तक है। ”

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/480/09-10/सीओ/जीसी-इंदौर(इंदौर-खलघाट)बीओटी]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2016

**S.O. 2180(E).**—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 & 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, vide notification S.O. 2070(E) dated 07.08.2009, authorized M/s. Oriental Pathways (Indore) Private Ltd. to collect and retain the fee for the development, operation and maintenance of the existing two lane road into four lane road from Km. 12.600 to Km. 84.700 ( Indore - Khalghat section) of the National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh;

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 & 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. 2070(E) dated 07.08.2009:-

Para 2 of the Notes may be substituted as follows:

“2. The fee shall be due and payable at the following Toll Plaza for the length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length (in km.) for which fee is payable	Design Chainage of the section*
At km 4.000 (existing km. 16.600) near Village Sonvay in District Indore	29.300	Km. 0.000 to km. 29.300
At km 75.700 (existing km. 82.800) near Village Khalghat in District Dhar	48.020	Km. 29.300 to km. 77.320
Total	77.320	

\*As per existing chainage, the project stretch is from km. 12.600 to km. 84.700. ”

[F. No. NHAI/13013/480/09-10/CO/GC-Indore (Indore-Khalghat) BOT]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.